उ0प्र0 शासन की पत्र संख्या 7314/14–3–980/82 वन अनुभाग–3, दिनांक 31.12.1984 द्वारा निर्धारित मानक शर्ते

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर से कोई परिवर्तन नही होगा और वह पूर्व की भांति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा। अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नही।
3. याचक विभाग प्रस्तावित अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नही करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाये कि मांगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरित विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचायेगे और ऐसा किये जाने पर सम्बंधित अधिकारी द्वारा मुआवजे का भुगतान विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बंधित वनाधिकारी की देख–रेख में करायेगा तथा इसके सम्बंध में बनाये गये मुनारे आदि की देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरित विभाग को कोई आपत्ति नही होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणो से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षति को एवं वन्य जन्तुओं के स्वछन्द विचरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी।
11. पेय जल पाइप लाइन निर्माण प्रस्तावों पर एलाइनमेन्ट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा प्राप्त किया जायेगा। प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल न्यूनतम है एवं जवाहर नवोदय विद्यालय मेजा खास प्रयागराज में जल आपूर्ति की अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। अतः पेय जल पाइप लाइन बिछाने की आवश्यकता है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बंधी प्रमाण पत्र के आधार पर आकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके, और उनका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।

14. हस्तान्तरित वन भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष का परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किये जाये का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर वृक्षों का पातन निषिद्व है। इसी प्रकरण बाज के पेड़ों का पातन भी वर्णित है ऐसे वृक्षों का पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथा सम्भव पेड़ों का कटान नही किया जायेगा या खम्भों को ऊँचा करे उसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है, तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बंधित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी जिस पर सम्बंधित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।

16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–क्षरण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का कराना आवश्यक समझा जाता है, तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वंय करायेगा।

17. उपरिलिखित मानक शर्तो के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्ते दर्शायी जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।

18. वन भूमि का वास्तविक हस्तांतरण तभी किया जाये, जब उक्त शर्तो का पूरा पालन कर लिया जाये, अथवा उसका उचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये।

मै प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय मेजा खास प्रयागराज प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सभी शर्ते मान्य है तथा उनका अनुपालन किया जायेगा।

प्राचार्य
जवाहर नवोदय विद्यालय
मेजा खास प्रयागराज

प्राचार्य/Principal
जवाहर नवोदय विद्यालय/Jawahar Navodaya Vidyalaya
मेजा खास-प्रयागराज/Meja Khas- Prayagraj

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
प्रयागराज